

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/2789-3046

दिनांक:- 19.10.2011

कार्यालय आदेश संख्या 158/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 08.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम लेखाकार (सर्वेरी)	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हेमशंकर उपाध्याय	01.11.1953	29.08.1984	29.08.2011	
2.	प्रकाश चन्द पंत	07.10.1955	30.08.1984	30.08.2011	
3.	सुशील कुमार सारस्वत	05.07.1958	17.09.1984	17.09.2011	
4.	सुमेर सिंह झाझडिया	10.01.1962	25.08.1984	25.08.2011	
5.	विजय कुमार शुक्ला	11.06.1955	06.09.1984	06.09.2011	
6.	अनिल कुमार शर्मा	02.07.1959	03.09.1984	03.09.2011	
7.	अजीत सिंह पवार	05.07.1960	27.08.1984	27.08.2011	
8.	भगवती लाल स्वर्णकार	11.12.1958	29.08.1984	29.08.2011	
9.	भीमसिंह राठौड़	16.07.1961	29.08.1984	29.08.2011	
10.	भरत सिंह	02.09.1959	22.08.1984	22.08.2011	
11.	छीतरमल गुप्ता	15.08.1955	29.08.1984(AM)	30.08.2011	
12.	दिलीपकुमार मीरचंदानी	02.05.1954	27.08.1984	27.08.2011	
13.	ज्ञानचंद जैन	02.06.1962	27.08.1984	27.08.2011	
14.	घनश्याम तियाडी	29.11.1960	21.08.1984	21.08.2011	
15.	इन्द्र नारायण किराडू	15.08.1957	31.08.1984	31.08.2011	
16.	महावीर प्रसाद विजय	24.10.1960	22.08.1984	22.08.2011	
17.	मदन मोहन अग्रवाल	12.07.1957	22.08.1984	22.08.2011	
18.	मोहन लाल	01.05.1957	27.08.1984	27.08.2011	
19.	मंगती लाल गुप्ता	01.07.1957	21.08.1984	21.08.2011	
20.	नगेन्द्र कुमार शर्मा	03.11.1953	10.09.1984(AM)	11.09.2011	
21.	प्रेमचन्द शर्मा	05.06.1960	22.08.1984	22.08.2011	
22.	राजकुमार खत्री	05.09.1961	21.08.1984	21.08.2011	
23.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	30.06.1960	27.08.1984	27.08.2011	
24.	रमेश चंद शर्मा	01.08.1953	28.08.1984	28.08.2011	
25.	रामचरण	30.07.1960	27.08.1984	27.08.2011	
26.	राजेन्द्र कुमार मेहरा	17.11.1961	22.08.1984	22.08.2011	
27.	सुनील कुमार सक्सेना	05.09.1960	22.08.1984	22.08.2011	
28.	सतीश कुमार कालरा	01.01.1957	01.09.1984(AM)	02.09.2011	
29.	विष्णु कुमार गुप्ता	06.07.1961	27.08.1984	27.08.2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 8 से 29 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 08.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है एवं उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी. /83-III/अलेसे-11/2989-3046

दिनांक:-19.10.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक- I)